20 | नईदुनिया
इंदौर, गुरुवार 03 मार्च 2016

जरूरी है साइबर क्राइम के खिलाफ जद्दोजहद

युवा भारत साइबर अपराधियों के निशाने पर है, लेकिन वे ऐसे खतरों को उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे में आगे बढ़ने तथा विकास के लिए नए तरीके व जोखिम तो उठाने ही होंगे।

वरुण कपूर,
आईपीएस

साइबर युग के बाशिंदों की जिंदगी के हर पहलू से टेक्नोलॉजी जुड़ गई है। अब घर–घर में कंप्यूटर है, इंटरनेट है, लगभग हर हाथ में मोबाइल है या कोई न कोई गैजेट, लेकिन आधुनिक समाज की इस खुशहाल जिंदगी पर अपराध का काला साया देखा जा सकता है। साइबर अपराध अब आम और खास लोगों की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभर रहे हैं।

एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स (एसोचेम) और महिंद्रा एसएसजी के एक संयुक्त अध्ययन से पता चला है कि भारत साइबर सुरक्षा के मामले में काफी पीछे है। 2014 में साइबर अपराध के करीब डेढ़ लाख मामले सामने आए थे, जो 2015 में 100 फीसदी बढ़कर तीन लाख हो गए। इस वृद्धि के पीछे प्रमुख कारण है लोगों में जागरुकता का अभाव। आक्रामक तरीके से बढ़ते हुए साइबर अपराधों के लिए न तो हमारा देश तैयार है और न ही नागरिक। यदि ऐसी ही परिस्थितियां बनी रहीं तो साइबर अपराध के आंकड़ों में तेजी से वृद्धि जारी रहेगी। इसका दुष्परिणाम देश के नागरिकों, खासतौर पर युवाओं और छात्रों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वर्चुअल दुनिया का सबसे ज्यादा उपयोग इन्हीं के द्वारा किया जाता है।

युवा भारत साइबर अपराधियों के निशाने पर हैं, लेकिन वे ऐसे खतरों को उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे में आगे बढ़ने तथा विकास के लिए नए तरीके और जोखिम तो उठाने ही होंगे।

इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) आधारित सेवाओं में हो रही बढ़ोतरी के चलते साइबर अपराध का खतरा हर समय बना रहेगा तथा यह बढ़ता भी जाएगा। ऐसा ही एक क्षेत्र ई–गवर्नेंस भी है, जिसके तहत सभी सरकारी एजेंसियां तेजी से साइबर आधारित सेवाओं को बढ़ा रही हैं और आने वाले समय में यह दर बढ़ेगी।

ऑनलाइन बिजनेस में हो रही बढ़ोतरी, जिसमें शॉपिंग, बैंकिंग, बीमा, ट्रेडिंग तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियां शामिल हैं, भी इसके खतरे से सुरक्षित नहीं हैं। आईटी आधारित इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्जेक्शंस भी देश में तेजी से बढ़ रहे हैं और इस पर भी साइबर अपराधियों का खतरा बना हुआ है। आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तथा प्लास्टिक मनी (एटीएम कार्ड, डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड इत्यादि) का उपयोग भी बढ़ेगा और यह ऐसा क्षेत्र है, जो साइबर अपराधियों के लिए पैसा बनाने का सबसे आसान तरीका है।

इंटरनेट का दायरा बढ़ाने के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस किया जा रहा है। दिसंबर 2015 में देश में इंटरनेट यूजर्स की कुल संख्या 40.2 करोड़ थी, जो चीन (60 करोड़) के बाद दुनिया की सबसे ज्यादा संख्या है। इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया तथा आईएमआरबी इंटरनेशनल से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि देश के कुल एक्टिव ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 11.7 करोड़ है, जो जून 2016 तक 14.7 करोड़ हो जाएगी। यानी छह माह में यह आंकड़ा 26 फीसदी तक बढ़ जाएगा। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में हो रही यह बढ़ोतरी साइबर अपराध बढ़ाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि, देश मे जिस तेजी से इंटरनेट का उपयोग बढ़ रहा है उस तेजी से देश में साइबर अपराध को लेकर सुरक्षा तथा जागरुकता नहीं बढ़ रही है। इस वजह से परिस्थितियां ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएंगी।

सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को अपनी नीतियां और कार्यक्रम बनाते समय दो तथ्यों का ध्यान रखना होगा– देश में आईटी आधारित सेवाओं का बढ़ता इस्तेमाल और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट का अधिक उपभोग, ताकि देश के सभी नागरिकों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो सकें।

(यह लेखक के निजी विचार हैं।)

साइबर क्राइम क्या है?

- साइबर शब्द को कंप्यूटर, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वर्चुअल रिअलिटी के हिस्से के रूप में किसी व्यक्ति,वस्तु या विचार को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
- साइबर क्राइम वह अपराध है जिसमें कंप्यूटर, मोबाइल गैजेट्स जैसे टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स और कम्यूनिकेशन नेटवर्क्स का इस्तेमाल होता है।
- ऑनलाइन धोखाधड़ी , निजी जानकारी चुराना, किसी की पहचान चुराना, वायरस बनाना और फैलाना, सॉफ्टवेयर पायरेसी, फर्जी बैंक कॉल, सोशल नेटवर्किंग साइट पर अफवाहें फैलाना और टेलीकॉम नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए लोगों को बेवजह परेशान करना साइबर क्रिमिनल्स के अपराध में शामिल हैं।